
 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>भारत सरकार / Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (East), Mumbai - 400 096 टेलि. / Tele. : 022-28294725 फैक्स / Fax : 28291385, ई.मेल / E-mail: jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

E-OPT/4/2022-EO/00348

04/01/2024

परिपत्र सं. 12 दिनांक 04 .01.2024
Circular NO. 12 dated 04 .01.2024

विषय : छत की चाबी की उपलब्धता हेतु अनुमति के संबंध में।

Sub: Regarding the permission for availability of terrace key.

सीपज़ -सेज़ में स्थित सभी इकाइयों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि, सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि सभी इकाई धारक आवश्यकता पड़ने पर अभीक्षक की देखरेख में छत से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इसलिए सीपज़ जोन परिसर में सभी इकाइयों के लिए छत की चाबी की उपलब्धता के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, ऐसी गतिविधियों की पूर्व सूचना, संपदा अधिकारी को दी जानी चाहिए और छत की चाबियों के लिए अभीक्षक को कम से कम 2 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए।

All the units situated in SEEPZ SEZ are hereby informed that, the Competent Authority has decided that all the unit holders may carry out the terrace related work under supervision of the Caretaker as and when required. Hence no permission shall be required for availability of terrace key to the all units in Zone complex.

Apart from this, prior information of such activities should be given to the Estate Officer and for terrace keys may be intimate to Caretaker at least 2 days in advance.

Signed by Prasad
Varwantkar
Date: 04-01-2024 16:46:03
Reason: Approved

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)

उप विकास आयुक्त/संपदा अधिकारी

सीपज़ -सेज़, प्राधिकरण

प्रतिलिपि :

1. सीपज़ सेज़ में स्थित सभी इकाइयाँ
2. सीमा शुल्क अनुभाग, सीपज़-सेज़
3. सुरक्षा अनुभाग, सीपज़-सेज़
4. अभीक्षक, सीपज़ -सेज़
5. आइटी अनुभाग, सीपज़ -सेज़

